भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 484
26 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

484. श्री एस. कल्याणसुन्दरमः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने आपदा-प्रवण क्षेत्रों में किसानों पर जलवायु परिवर्तन के असंगत प्रभाव की पहचान की हैं;

(ख) यदि हां, तो इस मुद्दे पर किए गए प्रभाव मूल्यांकन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने जलवायु-रोधक्षम खेती के बारे में किसानों में जागरुकता पैदा करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने की पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसाईलेंट एग्रीकल्चर (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य फसलों, पशुधन, बागवानी और मत्स्य-पालन सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करना और कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का विकास और संवर्धन करना, जो देश के संवेदनशील क्षेत्रों का समाधान और परियोजना के परिणाम सूखा, बाढ़, पाला, लू आदि जैसी चरम मौसम स्थितियों से ग्रस्त जिलों और क्षेत्रों को ऐसी चरम स्थितियों से निपटने में मदद करेंगे। आईसीएआर की प्रमुख उपलब्धियाँ निम्नलिखित हैं:

- पिछले 10 वर्षों (2014-2024) के दौरान, आईसीएआर द्वारा कुल 2593 किस्में जारी की गई हैं, इनमें से 2177 किस्में एक या एकाधिक जैविक और/या अजैविक तनावों के प्रति सहनशील पाई गई हैं ।

- जलवायु परिवर्तन पर कृषि के जोखिम और संवेदनशीलता का आकलन इंटर गवर्मेंट पेनल ऑन क्लाइमेट चैंज (आईपीसीसी) प्रोटोकॉल के अनुसार 651 मुख्यतः कृषि प्रधान जिलों के

लिए जिला स्तर पर किया जाता है। कुल 109 जिलों को 'अधिक उच्च' और 201 जिलों को 'उच्चता' संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- इन 651 जिलों के लिए जिला कृषि आकस्मिकता योजनाएं (डीएसीपी) मौसमी प्रतिकूल स्थितियां जैसे सूखा, बाढ़, बेमौसम बारिश और चरम मौसम की घटनाओं जैसे लू, शीत लहर, पाला, ओलावृष्टि, चक्रवात आदि के लिए तैयार की गई है तथा राज्य के कृषि विभागों और किसानों द्वारा उपयोग के लिए स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल फसलों और किस्मों तथा प्रबंधन पद्धतियों की सिफारिश की गई है।
- जलवायु परिवर्तनशीलता के प्रति किसानों की जागरुकता बढ़ाने और अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए, एनआईसीआरए के तहत "क्लाइमेट रिसाईलेंट विलेज" (सीआरवी) की अवधारणा शुरू की गई है।
- किसानों द्वारा अपनाने के लिए जलवायु की दृष्टि से संवेदनशील 151 जिलों के 448 सीआरवी में स्थान-विशिष्ट जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया गया।

आईसीएआर अपनी एनआईसीआरए परियोजना के माध्यम से किसानों के बीच कृषि में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में जागरूकता पैदा करता है। जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाया जा सके। जलवायु अनुकूल कृषि (सीआरए) प्रौद्योगिकी 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 151 जिलों में 448 सीआरवी में क्रियान्वित की गई है। सरकार ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के माध्यम से पहल की है, जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज (एनएपीसीसी) के अंतरर्गत मिशनों में से एक है। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए रणनीतियों को विकसित करना और उन्हें क्रियान्वित करना है। किसानों की जागरूकता/क्षमता वर्धन एनएमएसए कार्यनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। शुरुआत में एनएमएसए को तीन प्रमुख घटकों के लिए मंजूरी दी गई थी, जिसमें वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी); ऑन-फार्म वाटर मैनेजमेंट (ओएफडब्ल्यूएम); और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) शामिल थे। इसके बाद, सॉयल हैल्थ मैनेजमेंट (एसएचसी), परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर), प्रति बूंद अधिक फसल, राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम) आदि जैसे नए कार्यक्रम भी शामिल किए गए थे।

*****